प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगल पीठ माननीय डॉ. न्यायमूर्ति आई. एम. कुद्दुसी

माननीय श्री न्यायमूर्ति जी. मिन्हाजुद्दीन

दांडिक अपील क्रमांक : 1559/1995

अपीलार्थी:	छत्तीसगढ़ राज्य
बनाम	
प्रत्यर्थी:	नहरु

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378(1) के अंतर्गत अपील

उपस्थिति:

श्री अखिल मिश्रा, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/अपीलार्थी की ओर से।

श्री रत्नेश कुमार अग्रवाल, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी की ओर से।

मौखिक निर्णय

(29.02.2012)

द्वारा: डॉ. आई. एम. कुद्दुसी, न्यायमूर्ति

1. यह अपील राज्य द्वारा अपर सत्र न्यायाधीश, खैरागढ़, जिला राजनांदगांव द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 157/1993 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.08.1994 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 के दंडनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया है, जबकि प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध

करते हुए उसे केवल उसके द्वारा पहले से जेल में व्यतीत की गई अवधि के दंड से दण्डित किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष का कथानक संक्षेप में यह है कि दिनांक 06.08.1993 को खेलनदास (अ.सा.-2) खैरागढ़ न्यायालय में एक मामले की सुनवाई में शामिल होने गया था। जब वह अपने घर लौटा, तो उसकी पुत्री गायब पाई गई। खोजबीन करने पर, वह गाँव में नहीं मिली और अभियुक्त प्रत्यर्थी, जो उसका पड़ोसी था, वह भी वहाँ नहीं था। संदेह के आधार पर उसने अभियोक्त्री और अभियुक्त दोनों की तलाश की और जब वे नहीं मिले, तो उसने दिनांक 07.08.1993 को पुलिस थाना खैरागढ़ में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें सूचना दी गई कि खोजबीन के दौरान उसे पता चला कि अभियुक्त का चाचा मोहन भिलाई में रहता है और वे वहाँ गए होंगे। भिलाई में आगे पूछताछ करने पर उसे पता चला कि अभियोक्त्री अभियुक्त के घर में रह रही थी। पुलिस समरू के घर गई जहाँ से अभियोक्त्री को बरामद किया गया और उसे चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया। अभियुक्त का भी चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। खेलनदास द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन के आधार पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया। पूर्ण विवेचना के पश्चात चालान पेश किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन पक्ष ने अभियुक्त का दोष सिद्ध करने के लिए 14 साक्षियों कापरीक्षण कराया है।

4. विद्वान अपर सत्र न्यायालय ने तथ्यों की स्थिति और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए यह अभिनिर्धारित कि अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से कम थी और यह स्थापित नहीं हुआ है कि अभियुक्त ने उसके साथ बलपूर्वक

लैंगिंग संभोग संबंध बनाए थे। तथापि, जहाँ स्त्री की आयु 16 वर्ष से कम हो, उस स्थिति में अभियोक्त्री की सहमति के बावजूद भी बनाया गया लैंगिंग संभोग संबंध बलात्कार (बलात्संग) की परिधि में आता है। इस प्रकार, यद्यपि विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्ध किया, किंतु उसे केवल उस अवधि के लिए जेल की सजा सुनाई जो उसने पहले ही जेल में बिताई थी, जो कि 8 महीने और 11 दिन थी। साथ ही, विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 के दंडनीय अपराध से दोषमुक्त कर दिया।

5. विद्वान राज्य अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत सारभूत साक्ष्यों के आधार पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 363 एवं 366 के तहत मामला पूरी तरह प्रमाणित था और प्रत्यर्थी को उक्त अपराध के लिए दोषमुक्त करने का कोई अवसर नहीं था। उन्होंने आगे तर्क दिया कि प्रत्यर्थी को भा.दं.सं. की धारा 376 के दंडनीय अपराध का दोषी पाए जाने पर, विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रत्यर्थी को तदनुसार दण्डित करना चाहिए था, किंतु विद्वान न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा व्यतीत की गई अवधि अर्थात 8 महीने और 11 दिन का कारावास अधिरोपित किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

7. अभियोजन साक्षी-2 (अ.सा.-2) खेलन दास ने साक्ष्य दिया है कि उसकी पुत्री एक स्कूल में पढ़ी थी और उस समय उसने शिक्षक को बताया था कि उसकी जन्म तिथि 14.07.1978 थी। उसने आगे यह भी कहा कि उसने उसकी जन्म तिथि एक

कॉपी बुक में दिनांक 14.7.1978 के रूप में नोट की थी और उसी के आधार पर यह जानकारी दी गई थी। उसने वह कॉपी बुक पेश की जिसे **प्रदर्श पी-6** के रूप में प्रदर्शित किया गया था, जहाँ अभियोक्त्री की जन्म तिथि 14.7.1978 अंकित थी। अभियोजन साक्षी-14 (अ.सा.-14) कामता प्रसाद तिवारी, जो एक स्कूल सहायक थे, ने भी साक्ष्य दिया है कि स्कूल में कुंतीबाई (अ.सा.-1) के प्रवेश के समय, उन्होंने उसके पिता द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर रजिस्टर में उसकी जन्म तिथि 14.7.1978 अंकित की थी। इसके अतिरिक्त, डॉ. श्रीमती जिंदानी (अ.सा.-4), जिन्होंने 11.8.1993 को अभियोक्त्री का परीक्षण किया था, ने यह राय दी कि अभियोक्त्री की आयु 15 वर्ष से अधिक थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने यह तो अभिनिर्धारित किया कि अभियोक्त्री की आयु 15 वर्ष थी, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत निर्धारित न्यूनतम दंड की ओर ध्यान नहीं दिया। प्रत्यर्थी/अभियुक्त केवल लगभग 8 महीने और 11 दिन ही जेल में रहा और धारा 376 के तहत दंड केवल उक्त पूर्व व्यतीत अवधि के लिए ही अधिरोपित किया गया है, जबकि निर्णय में इतनी कम सजा देने के लिए किसी पर्याप्त एवं विशेष कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, धारा 363 और 366 के तहत दोषमुक्ति भी बिना किसी पर्याप्त कारण के की गई है, सिवाय इस आधार के कि वहां कोई प्रलोभन या लालच प्रमाणित नहीं था।

9. साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि प्रत्यर्थी/अभियुक्त एक विवाहित व्यक्ति था और यह बात अभियोक्त्री की जानकारी में थी क्योंकि उसने इस संबंध में बयान दिया है। इसके अलावा, उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त ने उससे कहा था कि वह उससे शादी करेगा लेकिन वह इसके लिए सहमत नहीं हुई और उसे जबरन साइकिल पर ले जाया गया था और इस प्रकार प्रत्यर्थी ने अभियोक्त्री को उसके

पिता की विधिपूर्ण संरक्षकता से हटा दिया था। इस संबंध में, भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के प्रावधानों का अवलोकन करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार उद्धृत हैं:

> **361. विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण :** जो कोई किसी अप्रासवय को, यदि वह पुरुष है तो सोलह वर्ष से कम की आयु के, और यदि वह स्त्री है तो अठारह वर्ष से कम की आयु के, अथवा किसी विकृत-चित्त व्यक्ति को ऐसे अप्रासवय या विकृत-चित्त व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षक के संरक्षण में से, ऐसे संरक्षक की सम्मति के बिना ले जाता है या बहला-फुसला ले जाता है, वह उस अप्रासवय या व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण करता है, यह कहा जाता है।
>
> **स्पष्टीकरण:** इस धारा के "विधिपूर्ण संरक्षक" शब्दों के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति आता है जिसे ऐसे अप्रासवय या अन्य व्यक्ति की देखरेख या अभिरक्षा विधिपूर्वक सौंपी गई हो।
>
> **अपवाद:** इस धारा का विस्तार किसी ऐसे व्यक्ति के कार्य पर नहीं है जो सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि वह किसी अधर्मज संतान का पिता है, या जो सद्भावपूर्वक यह विश्वास करता है कि वह ऐसी संतान की विधिपूर्ण अभिरक्षा का हकदार है, जब तक कि ऐसा कार्य किसी अनैतिक या अवैध प्रयोजन के लिए न किया गया हो।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के सामान्य पाठ से यह स्पष्ट होता है कि यह सिद्ध करना आवश्यक है कि स्त्री की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए और उसे संरक्षक की सहमति के बिना उसके विधिपूर्ण संरक्षक के संरक्षण से बाहर ले जाया गया हो। इस मामले में, अभियोक्त्री के बयानों से यह स्थापित हो गया है कि उसका व्यपहरण किया गया था और उसे उसके संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता से

हटाया गया था, और अभियोक्त्री की आयु, जैसा कि डॉ. जिंदानी (अ.सा.-6) द्वारा सिद्ध किया गया है, 15 वर्ष थी। अतः, अभियोजन यह सिद्ध करने में सफल रहा कि अभियोक्त्री की आयु 15 वर्ष थी और उसे उसके संरक्षक की विधिपूर्ण संरक्षकता से हटाया गया था। बलात्कार के अपराध के संबंध में, अभियोक्त्री ने कहा है कि उसने अपनी सहमति नहीं दी थी। यद्यपि , अभियोक्त्री की सहमति या असहमति सुसंगत नहीं है क्योंकि वह 16 वर्ष से कम आयु की थी और विचारण न्यायालय ने स्वयं अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषसिद्ध किया है। इस संबंध में, धारा 376 में निर्धारित दंड का भी अवलोकन करना आवश्यक है, जो निम्नानुसार उद्धृत है:

376. बलात्कार के लिए दंड:

(1) जो कोई, उपधारा (2) में उपबंधित मामलों के सिवाय, बलात्संग करेगा, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास या दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जब तक कि वह स्त्री जिसके साथ बलात्संग किया गया है, उसकी अपनी पत्नी न हो और बारह वर्ष से कम आयु की न हो, जिन मामलों में वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा:

परंतु यह कि न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, सात वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंड अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(क) पुलिस अधिकारी होते हुए बलात्कार (बलात्संग) करेगा—

(i) उस पुलिस थाने की सीमाओं के भीतर, जिसमें वह नियुक्त है; अथवा

(ii) किसी थाना भवन के परिसर में, चाहे वह उस पुलिस थाने में स्थित हो या न हो जिसमें वह नियुक्त है;

(iii) अथवा अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ; अथवा

(ख) लोक सेवक होते हुए, अपने पदीय पद का लाभ उठाएगा और अपनी अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ या अपने अधीनस्थ किसी लोक सेवक की अभिरक्षा में की किसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा; अथवा

(ग) किसी जेल, बाल संस्था या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित अभिरक्षा के अन्य स्थान के, या किसी स्त्री या बाल संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए, अपने पदीय पद का लाभ उठाएगा और ऐसी जेल, संप्रेक्षण गृह, स्थान या संस्था की किसी अंतःवासी के साथ बलात्कार करेगा; अथवा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए, अपने पदीय पद का लाभ उठाएगा और उस अस्पताल में किसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा; अथवा

(ङ) किसी स्त्री के साथ यह जानते हुए बलात्कार करेगा कि वह गर्भवती है; अथवा

(च) किसी ऐसी स्त्री के साथ बलात्कार करेगा जिसकी आयु बारह वर्ष से कम है;

अथवा

(छ) सामूहिक बलात्कार करेगा,

वह **सश्रम कारावास** से, जिसकी अवधि **दस वर्ष से कम की नहीं होगी** किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु यह कि न्यायालय पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, किसी भी भांति के कारावास का दंडादेश, जिसकी अवधि दस वर्ष से कम की होगी, अधिरोपित कर सकेगा।

11. उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में और अभियोजन साक्षियों के कथनों से, यह स्थापित हो गया है कि प्रत्यर्थी भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 के तहत दंडनीय अपराध कारित करने का भी दोषी था। अतः, यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है और एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है, तथा अभियुक्त/प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 एवं 366 के आरोपों के तहत दोषसिद्ध किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. दंडादेश अधिरोपित करने के संबंध में, चूँकि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत न्यूनतम दंड 7 वर्ष का सश्रम कारावास है, हमारा प्रस्ताव है कि इस स्तर पर 7 वर्ष का न्यूनतम दंड पर्याप्त होगा। अतः, प्रत्यर्थी/अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 376 के तहत **500/- रुपये के जुर्माने के साथ 7 वर्ष के सश्रम कारावास** का दंडादेश दिया जाता है। जुर्माने की राशि अदा न करने की स्थिति में, उसे इस मद में **3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास** भुगतना होगा। इसके अतिरिक्त, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि घटना के समय अभियोक्त्री 16 वर्ष से कम आयु की थी, इसलिए वह भा.दं.सं. की धारा 363 एवं 366 के अपराध के प्रयोजन के लिए अप्राप्तवय है। इस संबंध में, प्रत्यर्थी अभियुक्त को दोषमुक्त करने वाला विचारण न्यायालय का निर्णय आधारहीन होने के कारण एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, प्रत्यर्थी/अभियुक्त को भा.दं.सं. की धारा 363 एवं 366 के तहत भी दोषसिद्ध किया जाता है और प्रत्येक मद में **3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500/- रुपये के जुर्माने** से दण्डित किया जाता

है; जुर्माना अदा न करने पर अभियुक्त/प्रत्यर्थी को प्रत्येक मद में **3 माह की अतिरिक्त अवधि** का कारावास भुगतना होगा।

13. यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी दंडादेश **साथ-साथ** चलेंगे।

14. यह निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी को भा.दं.सं. की धारा 376, 363 एवं 366 के तहत उपरोक्त दंडादेश भुगतने हेतु तत्काल अभिरक्षा में लिया जाए। यद्यपि प्रत्यर्थी अपने द्वारा पहले से जेल में व्यतीत की गई अवधि के समायोजन का पात्र होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /- **सही /-**

(आई. एम. कुद्दुसी) **(जी. मिन्हाजुद्दीन)**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Smt. Vijaylaxmi Pradhan [Adv.]